

19/01/21  
CE(P) भारत AAO प्रेषक.

165

MD 11/7  
० 21-01-21

संख्या- 69 /III(2)/21-23(एम.एल.ए.)2017TC-III

(110) 550-II (P)

दिलीप जावलकर,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में  
गोप्य  
प्रभु का अभियन्ता  
द्वारा देहरादून का दिव्य

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

CAO-II

धनराशि बहुविधाल  
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

प्रमुख अभियन्ता (नियोजन),  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

MD 11/7  
० 22-01-21  
23/11

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानराशि सेवा डोईवाला के अन्तर्गत हर्वाला रेलवे फीडर मार्ग में नाली का निर्माण कार्य की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 0.600 किमी. एवं लागत ₹ 74.48 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 0 53.90 लाख (रुपये तिरेपन लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ॲफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से लो गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त वर्ष इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि वर्ष स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। रस्ते कार्य निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना, सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक भर का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

M

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैव्यप्रौद्योगिकी रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगामन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्याय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेवटर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 760(A)/XXVII(2)/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

  
(दिलीप ज्ञापलकर)  
सचिव।

संख्या- 69 /III(2)/21-23(एम.एल.ए.)/2017TC-III तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।

१५ गाई फाईल।

प्र०८०७०८०८-५६/२०२१

५८२७/०१/२०२१

आज्ञा से,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उत्तराखण्ड कार्यालय को  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।


१) मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून

(२) काषाधिकारी उत्तराखण्ड नवम् वृत्त लो.नि.वि. देहरादून

(३) काषाधिकारी उत्तराखण्ड रवह लो.नि.वि. ऋषिकेश

(४) काषाधिकारी उत्तराखण्ड रवह लो.नि.वि. देहरादून

५ बजट/प्राविधिक की एमुक अधिकारी उत्तराखण्ड, लो.नि.वि. देहरादून,

  
(वाई.एस.रावती)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -69/III(2)/21-23(MLA)17TCIII  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220014  
आवंटन पत्र दिनांक-19-JAN-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी			वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय		
53-वृहद निर्माण				2540000			10000			0		
योग				2540000			10000			0		

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER